

सिविल मिसेलेनियस
न्यायधीश बाल राज तुली के सामने,

साधु राम सिंघल-याचिकाकर्ता
बनाम
पंजाब विश्वविद्यालय और अन्य-उत्तरदाता

1968 की सिविल रिट संख्या 2589
28 अक्टूबर, 1968

पंजाब विश्वविद्यालय कैलेंडर 1967-खंड II-विनियमन 13-खंड III-अध्याय XXIX-नियम 6 (ए) और (बी)-मास्टर ऑफ आर्ट्स परीक्षा-उम्मीदवार जो परीक्षा के भाग I या भाग II में कुल मिलाकर उत्तीर्ण होता है, लेकिन एक या अधिक पेपरों में विफल रहता है-ऐसा उम्मीदवार-क्या अनुग्रह अंकों का हकदार है।

अभिनिर्धारित किया गया कि यदि पंजाब विश्वविद्यालय की मास्टर ऑफ आर्ट्स परीक्षा में कोई अभ्यर्थी उस परीक्षा के भाग एक या भाग दो में कुल मिलाकर उत्तीर्ण हुआ है, लेकिन एक या अधिक पेपरों में असफल रहा है, तो वह उस भाग के कुल अंकों के 1% की दर से 4 अनुग्रह अंकों का हकदार है। इस प्रकार यह माना जाएगा कि उसने अनुग्रह चिह्नों को जोड़ने के बाद निर्धारित अंक प्राप्त किए हैं। ऐसे मामले में अनुग्रह अंक जोड़ने से उम्मीदवार को परीक्षा उत्तीर्ण करने में मदद मिलती है। परीक्षा उत्तीर्ण घोषित किए जाने के लिए उम्मीदवार के सर्वोत्तम लाभ के लिए अनुग्रह अंक जोड़े जाने हैं। इस प्रकार नियम पर रखी जाने वाली व्याख्या ऐसी होनी चाहिए जो उम्मीदवार के सर्वोत्तम लाभ के लिए हो।

(Para 1)

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता एच. एल. सोनी।

उत्तरदाताओं की ओर से एस. सी. गोयल, अधिवक्ता।

निर्णय

तुली, जस्टिस

1. याचिकाकर्ता अप्रैल, 1967 में पंजाब विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित राजनीति विज्ञान विषय में मास्टर ऑफ आर्ट्स परीक्षा भाग I में एक निजी उम्मीदवार के रूप में उपस्थित हुआ और 209 अंक प्राप्त किए। इस प्रकार उन्हें उस परीक्षा में सफल घोषित किया गया। वह 1968 में आयोजित उस विषय में भाग दो की परीक्षा में उपस्थित हुए और पेपर I में फेल होने के बाद 187 अंक प्राप्त किए, जिसमें उन्होंने पास होने के लिए आवश्यक 33 के बजाय 25 अंक प्राप्त किए। इस प्रकार भाग दो में उन्हें असफल घोषित किया गया। उन्होंने विश्वविद्यालय के कुलसचिव को इस आशय का अभ्यावेदन दिया कि वह पंजाब विश्वविद्यालय कैलेंडर, खंड II

और नियम 6 (ए) और (बी) पंजाब विश्वविद्यालय कैलेंडर 1967 के अध्याय XXIX, खंड III के परिणामों के मॉडरेशन में निहित मास्टर ऑफ आर्ट्स परीक्षा के लिए विनियमन 13 के अधिकार के रूप में 4 अनुग्रह अंकों के हकदार हैं। उन्होंने दावा किया कि यदि उन्हें 4 अनुग्रह अंक दिए जाते हैं, तो भाग I और II दोनों में उनके अंकों का योग 400 हो जाएगा और इस प्रकार उन्हें सफल घोषित किया जाना चाहिए। उस अभ्यावेदन को 23 जुलाई, 1968 को अस्वीकार कर दिया गया था। याचिकाकर्ता ने तब वर्तमान रिट याचिका दायर कर परमादेश की एक रिट के लिए अनुरोध किया जिसमें उत्तरदाताओं को निर्देश दिया गया था कि वे उसके द्वारा प्राप्त कुल अंकों में 4 अनुग्रह अंक, यानी भाग II में कुल कुल अंकों का 1 प्रतिशत जोड़ें और इस तरह के निर्देश के अनुसार उसके मॉडरेशन के बाद अपना परिणाम नए सिरे से घोषित करें। सुसंगत विनियम 13 और नियम 6 (क) और (ख) इस प्रकार हैं -

विनियम 13-"एक उम्मीदवार जिसने एक साथ ली गई भाग I और भाग II दोनों परीक्षाओं के कुल में न्यूनतम द्वितीय श्रेणी के अंक प्राप्त किए हैं, उसे परीक्षा उत्तीर्ण माना जाएगा, भले ही वह भाग II परीक्षा के एक या अधिक पेपरों में विफल रहा हो।"

नियम 6 (ए)-"एक उम्मीदवार को परीक्षा उत्तीर्ण घोषित किया जाएगा यदि उसने कुल (पूरी परीक्षा में) में कम से कम द्वितीय श्रेणी के अंक प्राप्त किए हैं, भले ही वह एक या अधिक पेपरों में विफल हो।"

नियम 6 (बी)-"एक उम्मीदवार जो एक या अधिक पेपरों में या कुल मिलाकर विफल रहता है, उसे भाग I और भाग II परीक्षा के कुल कुल अंकों के 1 प्रतिशत तक अनुग्रह अंक दिए जाएंगे, जो उम्मीदवार के सर्वोत्तम लाभ के लिए हो सकता है, ताकि उसे परीक्षा उत्तीर्ण घोषित किया जा सके।"

यह इस विनियमन और नियमों की व्याख्या है, जिसकी इस याचिका में मांग की गई है। याचिकाकर्ता की ओर से यह तर्क दिया गया है कि चूंकि वह एक पेपर में फेल हो गया है, इसलिए वह नियम 6 (बी) के तहत 4 अनुग्रह अंकों का हकदार है और यदि उन 4 अनुग्रह अंकों को पेपर I में उसके द्वारा प्राप्त अंकों में जोड़ा जाता है, जिसमें वह 33 के बजाय 25 अंक प्राप्त करने में विफल रहा, तो उस पेपर में उसके अंक 29 हो जाएंगे और कुल अंक 191 हो जाएंगे। भाग I में प्राप्त 209 अंकों और भाग II में प्राप्त 191 अंकों को जोड़कर, उसके कुल अंक 800 में से 400 हो जाएंगे और इस प्रकार वह उत्तीर्ण घोषित होने का हकदार है क्योंकि 400 न्यूनतम द्वितीय श्रेणी के अंकों का प्रतिनिधित्व करते हैं। दूसरी ओर, प्रत्यर्थी के विद्वान वकील द्वारा यह तर्क दिया जाता है कि याचिकाकर्ता किसी भी अनुग्रह अंक का हकदार नहीं है क्योंकि अनुग्रह अंक जोड़ने पर भी वह पेपर I में विफल हो जाएगा और इसलिए, उसे 4 अनुग्रह अंक देने का कोई मतलब नहीं है। विद्वान वकील के अनुसार अनुग्रह अंक दिए जाने चाहिए ताकि उम्मीदवार उस विशेष पेपर में उत्तीर्ण हो सके। मुझे खेद है कि मैं उत्तरदाताओं के लिए विद्वान वकील द्वारा सुझाए गए स्पष्टीकरण से सहमत नहीं हो सकता। मेरे विचार में, यदि उम्मीदवार भाग I या भाग II में से किसी एक में कुल मिलाकर उत्तीर्ण हुआ है, लेकिन एक या अधिक पेपरों में विफल रहा है, तो वह उस भाग के कुल अंकों के 1 प्रतिशत की दर से 4 अनुग्रह अंकों का हकदार है। इस प्रकार यह माना जाएगा कि उसने अनुग्रह चिह्नों को जोड़ने के बाद निर्धारित अंक प्राप्त किए हैं। वर्तमान मामले में अनुग्रह अंकों को जोड़ने से याचिकाकर्ता को परीक्षा उत्तीर्ण करने में मदद मिलती है, जिसका अर्थ है

राजनीति विज्ञान के विषय में मास्टर ऑफ आर्ट्स की परीक्षा, क्योंकि यदि दोनों भागों के अंक जोड़े जाते हैं, तो कुल संख्या 400 हो जाती है। यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि परीक्षा उत्तीर्ण घोषित करने के लिए उम्मीदवार के सर्वोत्तम लाभ के लिए अनुग्रह अंक जोड़े जाने चाहिए। इस प्रकार नियम पर रखी जाने वाली व्याख्या ऐसी होनी चाहिए जो उम्मीदवार के सर्वोत्तम लाभ के लिए हो। इसलिए, मुझे याचिकाकर्ता के विद्वान वकील के तर्क में बहुत बल मिलता है और मेरा मानना है कि इस मामले में याचिकाकर्ता 4 अनुग्रह अंकों का हकदार है, जिसे भाग II में पेपर I के अंकों में जोड़ा जाना चाहिए और भाग II के कुल उन 4 अनुग्रह अंकों को जोड़ने के बाद निर्धारित किया जाना चाहिए।

2. सतिंदर मोहन मेहता बनाम पंजाब विश्वविद्यालय और एक अन्य (1967 Cur. Law Journal (Pb, & Hra.) 191) नरूला न्यायमूर्ति के मामले में एल. एल. एम. परीक्षा से संबंधित एक समान नियम पर विचार करना पड़ा। नियम ने उस मामले में व्याख्या की मांग नहीं की क्योंकि विश्वविद्यालय के विद्वान वकील द्वारा यह स्वीकार किया गया था कि यदि नियम एल. एल. एम. परीक्षा पर लागू होता है, तो उस मामले में याचिकाकर्ता अनुग्रह अंकों का हकदार था जो उस मामले में 3 था।
3. फिर प्रत्यर्थियों के लिए विद्वत वकील द्वारा यह तर्क दिया जाता है कि एक उम्मीदवार को विनियमन 13, उपर्युक्त में दिए गए अनुसार परीक्षा उत्तीर्ण माना जाएगा, यदि वह अपने स्वयं के प्रयास से भाग I और भाग II के कुल में न्यूनतम द्वितीय श्रेणी के अंक प्राप्त करता है और अनुग्रह अंकों के जोड़ से नहीं। मुझे उस तर्क से सहमत होने में असमर्थता पर खेद है। मेरे विचार में एक उम्मीदवार को द्वितीय श्रेणी के न्यूनतम अंक प्राप्त करने वाला माना जाएगा यदि परीक्षा के भाग I और II दोनों में उसके अंकों का योग अनुग्रह चिह्नों को शामिल करने के बाद 400 या उससे अधिक आता है जिसके लिए वह नियम 6 (बी) के तहत हकदार हो सकता है।
4. ऊपर दिए गए कारणों के लिए, मैं इस याचिका को लागत के साथ स्वीकार करता हूँ और प्रतिवादी को भाग II के पेपर I में याचिकाकर्ता द्वारा प्राप्त अंकों में 4 अनुग्रह अंक जोड़ने का निर्देश देता हूँ और भाग I और II दोनों में उसके द्वारा इस प्रकार प्राप्त अंकों को एकत्रित करने के बाद अपना परिणाम घोषित करता हूँ। अधिवक्ता शुल्क 100 रुपये।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

सूर्य करण चौधरी
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
(Trainee Judicial Officer)
कहखोदा (सोनीपत) हरियाणा।